

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज०)

पोठासीन अधिकारी :-

दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :-

49 / 2019

1. सोहनलाल आ० सूरजमल जाति तेली निवासी जैथल तह० के० पाटन जिला बून्दी राज०

—वादी

बनाम

1. सूरजमल आ० पुरुषोत्तम जाति तेली निवासी जैथल तह० के० पाटन जिला बून्दी राज०
2. मोहनलाल आ० सूरजमल जाति तेली निवासी जैथल तह० के० पाटन जिला बून्दी राज०
3. मदनलाल आ० सूरजमल जाति तेली निवासी जैथल तह० के० पाटन जिला बून्दी राज०
4. घनश्याम आ० सूरजमल जाति तेली निवासी जैथल तह० के० पाटन जिला बून्दी राज०
5. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार के० पाटन जिला बून्दी राज०


— प्रतिवादीगण

वाद :- अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर०टी०एक्ट

उपस्थित :-


1. वादी की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, एडवोकेट
2. प्रति० की ओर से श्री सुरेन्द्र मालव, एडवोकेट।


उपखण्ड अधिकारी
जे. पाटन (बून्दी)

1. वादी के द्वारा दिनांक 29.03.2019 को यह वाद अधिकार घोषणा एवं बंटवारा का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता सं. नया 756 की कृषि भूमि ख.सं. 1849 रकबा 0.74 है, ख.सं. 2230 रकबा 1.83 है, ख.सं. 3258 रकबा 0.07 है कुल किता 3 कुल रकबा 2.64 है वाके ग्राम व माल जैथल तहसील के पाटन जिला बून्दी राज में विस्थित है। मूल पुरुष सूरजमल है, सूरजमल के पुत्र वादी व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 है। कोई पुत्री नहीं है। वादी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है कि वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी भूमि है जो पुरखो से पीढी दर पीढी दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी 1/5 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खाते में दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बैचान करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 को विधिवत रूप से 1/5-1/5 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावें।
3. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 ने वादी के वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की और से दिनांक 12.09.2019 को राजीनामा पेश किया।
4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 12.09.2019 को बाद जाँच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—: निर्णय :—

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता सं. नया 756 की कृषि भूमि ख.सं. 1849 रकबा 0.74 है, ख.सं. 2230 रकबा 1.83 है, ख.सं. 3258 रकबा 0.07 है कुल किता 3 कुल रकबा 2.64 है वाके ग्राम व माल जैथल तहसील के पाटन जिला बून्दी


उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

राज0 में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 को 1/5-1/5 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



16/9/19
(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के०पाटन

इजलास - दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

सोहनलाल

V/S

सूरजमल वगै०

वाद- अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि
मुकदमा नम्बर :: 49/2019

वादी की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 1 सं. 4 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार मालव, अधिवक्ता की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 16.09.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि-


"आराजी खाता सं. नया 756 की कृषि भूमि ख.सं. 1849 रकबा 0.74 है०, ख.सं. 2230 रकबा 1.83 है०, ख.सं. 3258 रकबा 0.07 है० कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2.64 है० वाके ग्राम व माल जैथल तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 को 1/5-1/5 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के० पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।"

नीजग..... मुबलिकग..... बाबत
ग..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरहग..... फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तकग..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.08.2019 को जारी की गई।

मोहर




(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन